# वन अधिकार कानून और अत्याचार निवारण कानून का समन्वय

गायत्री रघुनन्दन

हिंदी रूपांतरण: ध्रुव नारायण

2021

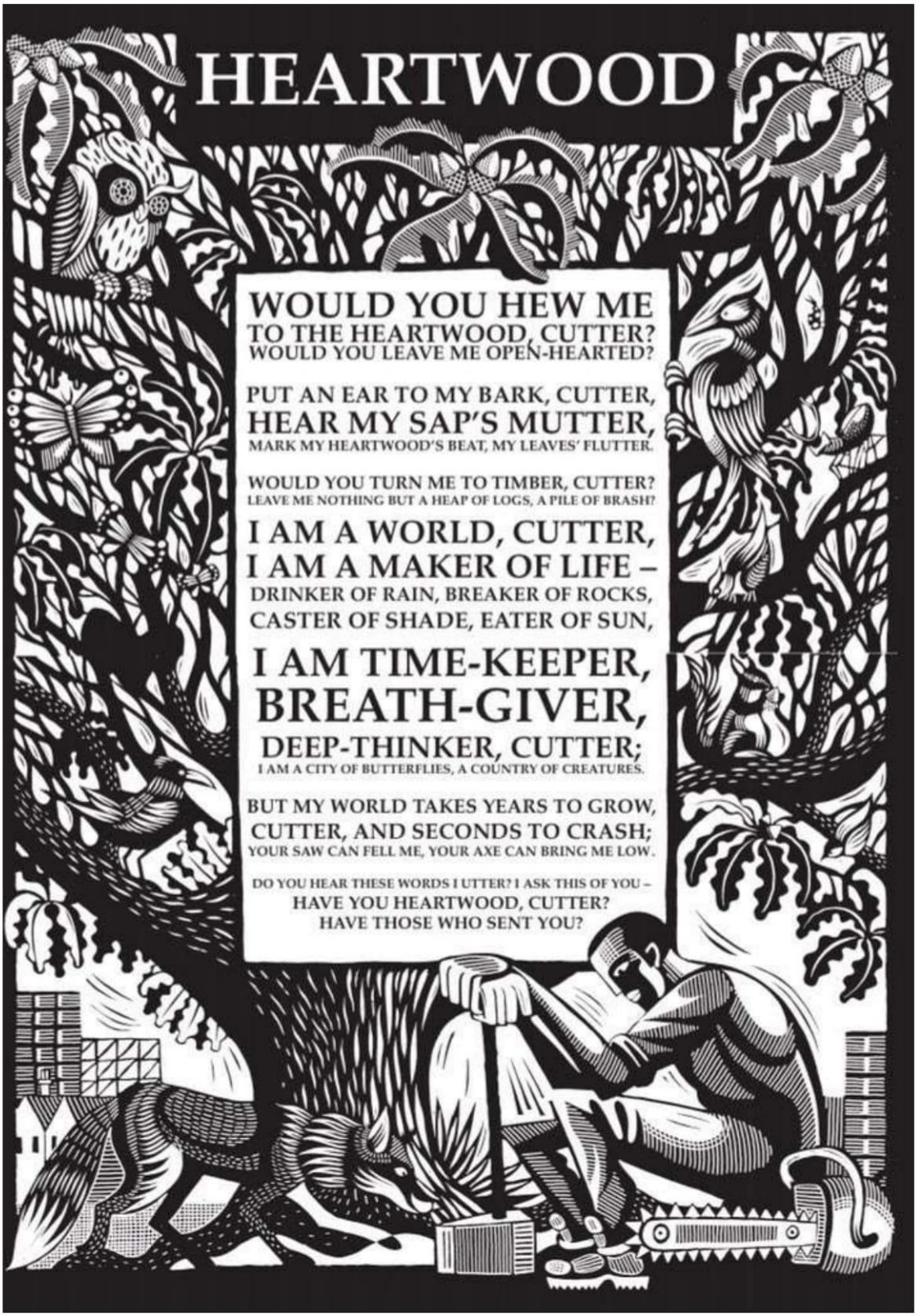
HEARTWOOD
WOULD YOU HEW ME
TO THE HEARTWOOD, CUTTER?
WOULD YOU LEAVE ME OPEN-HEARTED?
PUT AN EAR TO MY BARK, CUTTER,
HEAR MY SAP'S MUTTER,
MARK MY HEARTWOOD'S BEAT, MY LEAVES' FLUTTER.
WOULD YOU TURN ME TO TIMBER, CUTTER?
LEAVE ME NOTHING BUT A HEAP OF LOGS, A PILE OF BRASH?
I AM A WORLD, CUTTER,
I AM A MAKER OF LIFE –
DRINKER OF RAIN, BREAKER OF ROCKS,
CASTER OF SHADE, EATER OF SUN,
I AM TIME-KEEPER,
BREATH-GIVER,
DEEP-THINKER, CUTTER;
I AM A CITY OF BUTTERFLIES, A COUNTRY OF CREATURES.
BUT MY WORLD TAKES YEARS TO GROW,
CUTTER, AND SECONDS TO CRASH;
YOUR SAW CAN FELL ME, YOUR AXE CAN BRING ME LOW.
DO YOU HEAR THESE WORDS I UTTER? I ASK THIS OF YOU –
HAVE YOU HEARTWOOD, CUTTER?
HAVE THOSE WHO SENT YOU?

# सहयोग

**लेखन:** गायत्री रघुनन्दन

**संपादन:** शोमोना खन्ना, गायत्री रघुनन्दन

**डिजाइन:** नवीद ददन

**मुद्रण:** लीगल रिसोर्स सेंटर, दिल्ली

**प्रकाशन:** वसुंधरा, ओड़िसा

**हिंदी रूपांतरण:** ध्रुव नारायण, जनम फाउंडेशन

**अंदरूनी कवर**
"हर्टवुड" रॉबर्टमैकफ़ार्लेन (2018)

**रेखांकन :** निक हाए

© कॉपीराइट: लीगल रिसोर्स सेंटर और गायत्री रघुनन्दन, 2021.

# आभार

मैं इस प्रकाशन के लिए **लीगल रिसोर्स सेंटर** और **वसुंधरा** की तहेदिल से आभारी हूँ। उन्होंने समुदाय के लिए इस पुस्तिका के महत्त्व और उपादेयता को देखते हुए इसके प्रकाशन के लिए क़दम उठाया। सबसे ज़्यादा मैं शोमोना खन्ना के मार्गदर्शन की आभारी हूँ। उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरे सभी सवालों का जवाब दिया और शोध के दौरान उठनेवाली बाधाओं को दूर करने में मदद की। उनके सहयोग के बिना यह निर्देशिका संभव न हो पाती।

मैं तुषार दाश और संघमित्रा दुबे की भी आभारी हूँ जिन्होंने शुरुआत से ही इस निर्देशिका की संकल्पना में अहम भूमिका निभाई और इसे साकार बनाने के लिए सदैव तत्पर रहीं।

**गायत्री रघुनन्दन**
बर्कले, कैलिफोर्निया
सितंबर, 2019

# संक्षिप्त शब्द

| | |
|---|---|
| अत्याचार निवारण क़ानून | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 |
| अत्याचार निवारण नियमावली | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 |
| सीआरपीसी | अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 |
| सीपीसी | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 |
| सीआर | सामुदायिक हक़ |
| सीएफ़आर | सामुदायिक वन संसाधन |
| डीएसपी | पुलिस उपाधीक्षक |
| आईएफ़आर | व्यक्तिगत वन अधिकार |
| आईपीसी | भारतीय दंड संहिता, 1860 |
| जेएफ़एमसी | संयुक्त वन प्रबंधन कमिटी |
| एलएआरआर | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 |
| एफ़आरए | अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 |
| एफ़आर नियमावली | अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 |
| एफ़आईआर | प्राथमिक सूचना रिपोर्ट |
| एफ़डी | वन विभाग |
| एमएफ़पी | लघु वनोपज |
| ओसाटिप | ओड़िसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति का हस्तांतरण नियमावली, 1956 |
| पीपी | लोक अभियोजक |
| आरएफ़ओ | रेंज वन अधिकारी |
| एससी/एसटी | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति |
| एसएलएमसी | राज्य स्तरीय निगरानी कमिटी |
| एसपी | पुलिस अधीक्षक |
| एसएसपी | वरीय पुलिस अधीक्षक |
| एसपीपी | विशिष्ट लोक अभियोजक |

# यह निर्देशिका क्यों बनानी पड़ी

सन् 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया गया ताकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को (जिसे पहले अस्पृश्यता आधिनियम, 1955 कहा जाता था) मज़बूती दी जा सके। तब से इस क़ानून का इस्तेमाल देश भर में क़ानून के तहत परिभाषित तरह-तरह के अत्याचारों को दंडित करने के लिए किया गया।

सर्वविदित है कि मूल रूप से दलित आंदोलन इस क़ानून का इस्तेमाल करता रहा है। हालाँकि इस क़ानून में अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अत्याचारों को भी शामिल किया गया है, पर ऐसे मामले अदालतों में नहीं पहुँच पाते।

सन् 2016 में इस क़ानून में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए। इन संशोधनों के कारण कई परिभाषाएँ साफ हुईं और प्रक्रियाओं में सुधार किया गया। ऐसा ही एक सुधार यह था कि वन अधिकार के अनुपालन में दखलअंदाजी या वंचित किए जाने से संबंधित मामलों को अत्याचार के रूप में अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। वन अधिकारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ़आरए) के तहत परिभाषित किया गया। इन बदलावों ने कई वन अधिकार आंदोलनों को अत्याचार निवारण क़ानूनों को क़रीब से देखने के लिए प्रेरित किया। इस क़ानून को पहले हम अपने लिए अनुपयोगी मानते हुए नज़रअंदाज कर देते थे।

> *इस निर्देशिका का उद्देश्य है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए काम करनेवाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को बड़ी भूमिका के लिए प्रेरित करना। यह आसान लहजे में लिखी निर्देशिका है जो अपराधिक न्याय प्रक्रिया का कैसे इस्तेमाल किया जाए यह बताती है और उन्हें प्रदत्त अधिकारों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए लैस करती है।*

मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में हमें इस बात के लिए पूरी तरह सजग रहना होगा कि हमारे वन अधिकार तरह-तरह के नौकरशाही हथकंडों के ज़रिए हमसे न छीने जाएँ। अत्याचार निवारण क़ानून और वन अधिकार क़ानून को साथ-साथ देखने पर अपने इलाक़े में जहाँ वन अधिकार क़ानून पर अमल नहीं किया गया है या उस पर अमल की प्रक्रिया पटरी से उतर गई है या रोक दी गई है या उन पर अमल में हस्तक्षेप किया जा रहा हो, वहाँ उसे समुचित ढंग से लागू कराने के लिए काम कर सकते हैं। मतलब यह कि दोनों क़ानूनों का अंतरसंबंध अत्याचार निवारण क़ानून को इस तरह इस्तेमाल का ढाँचा बनाता है कि वन अधिकार क़ानून के अधिकारों को लागू करवाया जा सके और पाठक को अपराधिक प्रक्रिया के स्वाभाविक परणामों के प्रति सजग करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह समुदाय के सदस्यों को न्याय को सुनिश्चित करने में मददगार होगा और जो लोग संघर्षरत हैं, उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया की सहायता लेने के लिए प्रेरित करेगा।

# विषय क्रम


I. अत्याचार निवारण कानून क्या है? *01*

II. धारा 3(1)(च) और (छ) क्या है? *02*

III. गंभीर अपराध *05*

IV. प्रक्रिया की रूपरेखा *10*

V. प्रक्रिया में कमी –आप क्या करें? *16*

VI. ग्रामसभा क्या कर सकती है? *17*

VII. वैकल्पिक रणनीतियाँ – अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? *18*

VIII. सन् 2018 में आए अहम बदलाव *19*

IX. बार-बार पूछे जाने वाले सवाल-जवाब *21*

X. अनुलग्नक *25*

# I. अत्याचार निवारण कानून क्या है?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 **(अत्याचार निवारण क़ानून)** को मूलतः नागरिक अधिकार संरक्षण क़ानून, 1955 को (जिसे पहले अस्पृश्यता क़ानून, 1955 कहा जाता था) मज़बूती देने के लिए बनाया गया। उसके बाद से देश भर में इस क़ानून के तहत वर्णित तरह-तरह के"अत्याचारों" के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की गई।

> *सभी जानते हैं कि इस क़ानून का इस्तेमाल मूलतः दलित आंदोलन करते रहे हैं। पर यह नहीं जानते कि आदिवासियों के ख़िलाफ़ अत्याचार भी इस क़ानून में शामिल हैं। इसलिए ऐसे मामले अदालतों में नहीं आ पाते। जैसे कि धारा 3(1)(च) जनजातियों की भूमि के ग़लत ढंग से हस्तांतरण की बात करती है।*

सन् 2016 में इस क़ानून के तहत दी गई परिभाषाओं और प्रक्रिया को लेकर कई सुधार किए गए। इनमें से एक बदलाव वन अधिकार के उपभोग से वंचित किए जाने या बेदख़ल किए जाने को अत्याचार की श्रेणी में डालता है। क़ानून में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ़आरए) में दिए गए वन अधिकारों को शामिल किया गया है।

## वन निवासियों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ अत्याचार

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को आवंटित या अधिसूचित ज़मीन के किसी टुकड़े पर ग़लत ढंग से क़ब्ज़ा या खेती या हस्तांतरण (धारा 3(1)(च));
- बेगार या किसी तरह के जबरिया श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए प्रेरित करना या बाध्य करना (धारा 3(1)(ज));
- सार्वजनिक जगह पर आने-जाने के परंपरागत हक़ या सामुदायिक संपत्ति पर अधिकार से वंचित किया जाना या बाधा पहुँचाना (धारा 3(1)(यक));
- घर, गाँव या अपना निवास छोड़ने के लिए मजबूर करना (धारा 3(1)(य));
- अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या निवास से ग़लत ढंग से बेदख़ल करना या वन अधिकार समेत किसी भूखंड या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधा के उपभोग में बाधा पहुँचाना या फ़सल की बरबादी या उपज का उससे छीना जाना (धारा 3 (1)(छ))।

# II. धारा 3(1)(च) और (छ) क्या है?

वन अधिकारों पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए अत्याचार निवारण क़ानून के इस्तेमाल के पहले ज़रूरी है कि धारा 3(1)(च) और (छ) के तहत दी गई "अत्याचार" की परिभाषा और उसके तात्पर्य को समझा जाए। ये प्रावधान इस प्रकार हैं :

*"3. अत्याचार के अपराध के लिए दंड —3 [(1)अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो, वह—*

*xxx*

*(च) किसी भूखंड जिस पर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का स्वामित्व हो या क़ब्ज़ा हो या जिसे सक्षम प्राधिकरण ने उसे आवंटित किया हो या अधिसूचित किया हो उसपर ग़लत ढंग से क़ब्ज़ा कर लेता है या खेती करता है या उसे अपने नाम हस्तांतरित करा ले;*

*(छ) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या प्रांगण या पानी या सिंचाई की सुविधा से ग़लत ढंग से बेदख़ल करता हो या वन अधिकारों समेत किसी भूखंड या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधा पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता हो या फ़सल को नुकसान पहुँचाता हो या उपज को ले लेता हो;*

*स्पष्टीकरण – खंड (च) और इस खंड के उद्देश्य से "ग़लत ढंग से" (wrongfully) शब्द में यह शामिल है- (क) किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध; (ख) व्यक्ति की रज़ामंदी के बिना; (ग) उस व्यक्ति की रज़ामंदी उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की जान की या नुकसान करने की धमकी देकर हासिल की गई हो; या (घ) उस भूमि के दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ की गई हो;*

*xxx*

*तो कारावास की सज़ा दी जाएगी जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी, लेकिन यह अवधि पाँच साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"*

### धारा 3(1)(च) की मुख्य बातें निम्नांकित हैं:

- *अत्याचार करने वाला ग़ैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति होना चाहिए*
- *ज़मीन पर क़ब्ज़ा या खेती*
- *ऐसा क़ब्ज़ा या खेती ग़लत ढंग से की गई हो*
- *भूखंड पर किसी एससी/एसटी का स्वामित्व हो या उसके दखल में हो या उसे आवंटित किया गया हो; या*
- *ऐसी भूमि का हस्तांतरण किया गया हो।*

*यह प्रावधान हालाँकि महत्त्वपूर्ण है, पर यह ख़ास किस्म के कृत्य और ख़ास किस्म की भूमि तक ही सीमित है। इसलिए 2016 में धारा 3(1)(छ) का प्रावधान जोड़ना पड़ा।*

### धारा 3(1)(छ) की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है:

- *अत्याचार करने वाला ग़ैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्ति होना चाहिए,*
- *किसी एससी/एसटी व्यक्ति द्वारा वन अधिकारों या अन्य अधिकारों के उपभोग को बाधित किया गया हो या उसमें हस्तक्षेप किया गया हो,*
- *एससी/एसटी व्यक्ति के ये अधिकार भूमि या परिसर (premises) या पानी या सिंचाई सुविधा से जुड़े हो सकते हैं,*
- *भूमि/परिसर (premises) पर लगाई गई फ़सल को नुकसान पहुँचाया गया हो या उपज को हथिया लिया गया हो,*
- *इस तरह की बेदख़ली या हस्तक्षेप ग़लत है (जैसा कि धारा मेंपरिभाषित किया गया है)*

## धारा 3(1)(च) और (छ) के तहत "ग़लत ढंग" (wrongfully) का मतलब क्या है?

हालाँकि "ग़लत ढंग" (wrongfully) का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया गया है, पर इन प्रावधानों के तहत इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है :

- व्यक्ति की इच्छा के विपरीत – इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की अनिच्छा या अस्वीकृति के बावजूद उसे उसके हक़ से वंचित किया गया हो।
- व्यक्ति की रज़ामंदी के बग़ैर– जिस मामले में व्यक्ति ने स्पष्ट रज़ामंदी न दी हो या उसे ऐसी बेदख़ली की कोई जानकारी नहीं हो।
- व्यक्ति की रज़ामंदी उस व्यक्ति (उसके किसी नजदीकी) की जान या हानि के भय के साथ हासिल की गई हो – ऐसे मामले में, जहाँ व्यक्ति ने ख़ुद की या किसी अपने की जान या हानि के भय के तहत रज़ामंदी दी हो, ऐसे में उस रज़ामंदी का क़ानून की नज़र में कोई महत्त्व नहीं है।
- ऐसी भूमि के जाली दस्तावेज़ बनाना – अगर बेदख़ल करने के लिए दस्तावेज़ों क साथ छेड़छाड़ की गई हो,तो यह मानने का पूरा आधार है कि ऐसी मंज़ूरी ग़लत ढंग से हासिल की गई है और ऐसे मामले में मंज़ूरी का अभाव या अनिच्छा साबित करना ज़रूरी नहीं है।
- ग़लत ढंग से किए गए ऐसे अन्य कृत्य –व्याख्या की शुरुआत में इस शब्द के इस्तेमाल को "शामिल" ("includes") करके विधायिका ने जजों के ऊपर छोड़ दिया है कि वे ऐसे अन्य कृत्यों को भी इस प्रावधान के दायरे में ले आएँ।
- धारा 3(1)(च) और (छ) के तहत कम-से-कम छह माह के कारावास का दंड निर्धारित किया गया है, और कारावास की इस अवधि को पाँच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। न्यूनतम अनिवार्य सज़ा का यह प्रावधान अनूठा है और दिखलाता है कि संसद इसे काफ़ी गंभीर अपराध मानती है।

एससी/एसटी बनाम ग़ैर-एससी/एसटी

ग़लत ढंग से उसे उसकी ज़मीन या परिसर (premises) से बेदख़ल कर देता है

ग़लत ढंग से उसे उसकी भूमि, परिसर (premises) या जल स्रोत (water) या सिंचाई की सुविधा पर उसके अधिकारों, वन अधिकारों समेत अन्य अधिकारों के उपभोग (enjoyment) में हस्तक्षेप करता है

फ़सल की बरबादी करता है या भूमि या परिसर (premises) या जल स्रोत या सिंचाई सुविधा की उपज को उससे छीन लेता है

# III. गंभीर अपराध

अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(2) के तहत कुछ अपराधों को उग्र या ज़्यादा गंभीर अपराध माना गया है, जिनके लिए ज़्यादा कठोर दंड की व्यवस्था की गई है :

- जिन अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, उनमें झूठे साक्ष्य उपलब्ध कराने पर मृत्युदंड दिया जा सकता है;
- जिन अपराधों के लिए सात साल या अधिक के कारावास के दंड का प्रावधान है उन मामलों में झूठे साक्ष्य उपलब्ध कराने पर छह माह से लेकर सात साल के कारावास की सज़ा दी जा सकती है;
- आगजनी/ विस्फोटक सामग्री के ज़रिए किए गए कृत्य के लिए छह माह से लेकर सात साल की सज़ा दी जा सकती है; और
- किसी पूजास्थल या रिहाइश को आगजनी के माध्यम से बरबाद करने के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है।

## लोक सेवकों के अपराध

ऊपर वर्णित प्रावधानों के अलावा अत्याचार निवारण क़ानून में लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए भी सज़ा के विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। वन अधिकारों के संबंध में यह बात विशेष तौर पर ध्यान देने की है, क्योंकि इन अधिकारों का उल्लंघन अक्सर सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये प्रावधान कहते हैं :

- धारा 3(2)(vii) के अनुसार यदि कोई लोक सेवक धारा 3 के तहत कोई अपराध करता है,तो उसमें कम-से-कम एक साल के कारावास की सज़ा (ग़ैर-सरकारी सेवक के मामले में कम-से-कम छह माह की सज़ा) का प्रावधान है।
- क़ानून की धारा 4 में उन गतिविधियों की व्याख्या की गई है जिन्हें उन लोक सेवकों द्वारा (जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं) अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना कहा जा सकता है। इस तरह की जानबूझकर की गई अवहेलना के लिए कम-से-कम छह माह के कारावास की व्यवस्था की गई है, जिसे 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

# अभियोजन की मंज़ूरी

- *जैसा कि पहले बताया गया है, 2016 में अत्याचार निवारण क़ानून, 1989 में व्यापक संशोधन किए गए। उसमें वन अधिकारों से बेदख़ली को धारा 3(1)(छ) के तहत एक अपराध के रूप में जोड़ा गया और लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध के लिए ज़्यादा कठोर दंड तय किए गए।*
- *हालाँकि क़ानून में यह सर्वमान्य है कि अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत नियोजनकर्ता अधिकारी से अभियोजन की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है।*
- *यह देखते हुए कि देश भर में सरकारी अधिकारियों द्वारा वन अधिकार क़ानून का बड़ा पैमाने पर उल्लंघन किया जाता है, अत्याचार निवारण क़ानून के तहत अभियोजन आदिवासियों और वन निवासियों के लिए बड़ी राहत है। इसलिए इस मुद्दे पर स्पष्टता बेहद ज़रूरी है।*
- *सीआरपीसी की धारा 197(1) कहती है कि जब किसी लोक सेवक पर अपराध का आरोप लगाया जाता है कि "उसने अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वहन के दौरान अपराध किया है", ऐसे मामले में संज्ञान लेने के पहले अदालत नियोजनकर्ता प्राधिकरण की (संबद्ध केंद्र या राज्य सरकार से, जैसा मामले में ज़रूरी हो) मंज़ूरी लेगी।*
- *इसके अलावा अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 4 में कहा गया है कि अगर इस धारा के तहत किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाया जाता है, तो शासकीय तफ़्तीश के ज़रिए अभियोजन की मंज़ूरी ज़रूरी है। हालाँकि यह सिर्फ़ अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 4(1) के तहत "कर्तव्यों की अवहेलना" के अपराध से संबंधित है और यह क़ानून की धारा 3 में वर्णित मुख्य अपराधों पर लागू नहीं होता।*

## आप क्या कर सकते हैं?

- *अक्सर यह मान लिया जाता है कि लोक सेवकों के ख़िलाफ़ अभियोजन की मंज़ूरी (sanction for prosecution) हासिल करना मुश्किल है और इसमें काफ़ी समय लगता है और कभी-कभी तो असंभव होता है।*
- *सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपराध करने पर उसके ख़िलाफ़ एफ़.आई.आर. दर्ज करने, उसे गिरफ़्तार करने या उसके अपराध की जाँच करने के लिए मंज़ूरी (sanction) लेना ज़रूरी नहीं है।*
- *सिर्फ़ चार्जशीट दाख़िल करते समय जब अदालत आरोप तय करती है, तब मंज़ूरी लेना ज़रूरी हो जाता है। उस वक़्त आप अपने वकील से कहें कि वह मौखिक और लिखित दस्तावेज़ों के ज़रिए यह तर्क करे कि दोषी लोक सेवक द्वारा वन अधिकारों का उल्लंघन अपने "दायित्वों के निर्वहन" का हिस्सा नहीं है और इसलिए मुकदमा चलाने के लिए मंज़ूरी (sanction) लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में कई सामाजिक न्याय वकीलों ने सफलतापूर्वक इस तर्क का सहारा लिया है। और कई अदालतों ने इस आधार पर मुकदमा जारी रखा है कि लोक सेवक ने यह अपराध **"अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन"**के दौरान नहीं किया है। इस वजह से अभियोजन की मंज़ूरी (sanction for prosecution) लेना ज़रूरी नहीं है।*

| लोक सेवक के कृत्य | क्या उसका यह कृत्य आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा है? |
|---|---|
| समुदाय के सदस्यों के ख़िलाफ़ यौन हमला और हिंसा | नहीं, यह कृत्य को किसी भी मायने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। |
| प्रतिबंधित पहुँचवाले (restricted access) वनों में प्रवेश के वक़्त गाँववासियों की व्यक्तिगत संपत्ति और भोजन को ज़ब्त करना | नहीं, इस हिंसक कृत्य को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। |
| जालसाज़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (electronic record) बनाना (आईपीसी, 1860 की धारा 468, 471), उदाहरण के लिए ग्रामसभा के संकल्प पर जाली हस्ताक्षर करना, आदि। | नहीं, इस कृत्य को आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। |
| संरक्षित इलाक़ों (reserved areas) से गाँववासियों को हटाने के उद्देश्य से गाँवों और बसाहटों को जलाया जाना। | नहीं, ऐसे कृत्य को अत्याचार निवारण क़ानून, 1989 की धारा 3(2)(iii) और (iv) के तहत किया गया अपराध माना जाएगा और इसे आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। |
| परती भूमि पर वृक्षारोपण | तर्क-योग्य (arguable)। अगर किसी मामले में बल का या जलसाज़ी का या दबाव का या हिंसा का इस्तेमाल किया गया है, तो अभियोजन के लिए मंज़ूरी लेना ज़रूरी नहीं है। |

बहरहाल, यह ध्यान रखना चाहिए कि हर मामले में इसे लेकर काफ़ी क़ानूनी दाँवपेंच अपनाए जाते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपराधिक अभियोजन के साथ-साथ वैकल्पिक रणनीतियों (alternative strategies) का भी सहारा लिया जाए (देखें **वैकल्पिक रणनीतियाँ – अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं?**)।

**"उत्पीड़न" के कुछ उदाहरण (ध्यान रहे कि यह कुछ उदाहरण भर हैं, पूरी सूची नहीं)**

| | अपराध | गंभीर अपराध | अन्य क़ानून |
|---|---|---|---|
| आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन व्यवसायिक वृक्षारोपण | बिना स्पष्ट इजाज़त के उस भूमि पर जबरन वृक्षारोपण, जो आईएफ़आर/सीआर/सीएफ़आर के तहत आता है या जिसका मालिकाना तय कर दिया गया है या मालिकाना तय करने की प्रक्रिया जारी है। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(च) और (छ) | जहाँ वन विभाग ने सीधे या परोक्ष रूप से अपने एजेंट के ज़रिए वृक्षारोपण कराया हो। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(च) और (छ), और 3(2)(vii) | वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की धारा 441, 447 |
| लघु वनोपज की ज़ब्ती | वन निवासियों से ज़ब्ती या जब वन निवासी वन अधिकार क़ानून की धारा 3(1)(ग) के अनुसार लघु वनोपज के संग्रह, इस्तेमाल और निष्पादन (collection, use and disposal) में लगे हों, तो परिवहन में बाधा पहुँचाना। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(छ) | सरकारी अधिकारियों द्वारा लघु वनोपजों की ज़ब्ती और उसके बाद वनवासियों द्वारा एकत्र वनोपजों को जलाना या परिवहन के साधनों की आगजनी अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(छ), धारा 3(2)(iii) और (vii) | वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की धारा 435, 436 |
| शारीरिक या मौखिक अत्याचार | जब कोई वन निवासी वन अधिकार क़ानून मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करे, तो हिंसा की धमकी, जैसे कि शारीरिक हमला, मौखिक दुर्व्यवहार (अपमान)। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(द), (ध) और (छ) | हिंसा की धमकी और/या इसके सबूत को मिटाना और/या किसी मामले में ऐसी कोई जानकारी देना जिसे क़ानून झूठ मानता है। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(द), (ध) और (छ) और धारा 3(2)(v), (vi), (vii) | आईपीसी की धारा 503-506 |
| ग्रामसभा की झूठी कार्रवाई का हवाला | वन के किसी अन्य इस्तेमाल के लिए ग्रामसभा की कार्रवाई के झूठे दस्तावेज़ बनाना, गाँववासियों के जाली हस्ताक्षर बनाना। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(छ) | किसी सरकारी अधिकारी द्वारा वन के किसी अन्य इस्तेमाल के लिए ग्रामसभा की मंज़ूरी के झूठे दस्तावेज़ बनाना, गाँववासियों के जाली हस्ताक्षर बनाना। अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(छ) और धारा 3(2)(vii) | वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की धारा 463 से 474 |

| | अपराध | गंभीर अपराध | अन्य क़ानून |
|---|---|---|---|
| आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण | बेनामी सौदों के ज़रिए आदिवासियों की ज़मीनग़ैर-आदिवासियों के नाम हस्तांतरित करना।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(च) और (छ) | जब कोई लोक सेवक बेईमानी से किसी संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर लेता है या अपनी निजी संपत्ति बना लेता है और भरोसे को अपराधिक ढंग से तोड़ता (criminal breach of trust) है।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3 (1)(च) और (छ), और धारा 3(2)(vii) | वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की धारा 441 |
| बेदख़ली | अधिकारों को मान्यता दिए बग़ैर और उचित प्रक्रिया (due process) का पालन किए बग़ैर आदिवासियों/वन निवासियों की बेदख़ली।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(च) और (छ) | किसी आदिवासी/वन निवासी को उसके अधिकारों के मान्यता दिलाए बग़ैर सरकारी अधिकारी द्वारा उसे बेदख़ल किया जाना।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(च) और (छ)के साथधारा 3(2)(vii) | अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 4(5) के साथ वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की अन्य कई धाराएँ |
| यौन उत्पीड़न | जंगल से लघु वनोपजों के संग्रह या सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंध के अपने वन अधिकारों का इस्तेमाल करनेवाली किसी वन निवासी औरतों का यौन उत्पीड़न।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(ब) और (छ) | वन अधिकार समेत अपने अन्य अधिकारों का दावा करनेवाली किसी वनवासी औरत का किसी सरकारी अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(ब) और धारा 3(2)(vii) और (vii) | वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और आईपीसी की धारा 354, 354A और 354B के साथ-साथ अन्य कई धाराएँ |
| मौत की वजह बनना | किसी एससी/एसटी व्यक्ति की मौत की वजह बनना, हत्या या ग़ैर-इरादतन हत्या।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(2)(v) | किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी एससी/एसटी व्यक्ति की हत्या या ग़ैर-इरादतन हत्या।<br>अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(2)(v) और धारा 3(2)(vii) | आईपीसी की धारा 299 से लेकर धारा 306 |

# IV. प्रक्रिया की रूपरेखा

इस भाग में हमने अत्याचार निवारण क़ानून के तहत अपराधिक मुकदमे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या की है।

**चार्ट** I में एफ़आईआर दर्ज होने से लेकर सज़ा होने/ बरी होने तक की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

**चार्ट** II में एफ़आईआर दर्ज न होने की स्थिति में चलनेवाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

**चार्ट** III जमानत की अपराधिक प्रक्रिया का वर्णन करती है। चूँकि अत्याचार निवारण क़ानून (धारा 18A) में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, ऐसे में यह काफ़ी महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

वन अधिकार क़ानून की धारा 7 के तहत जब कोई प्राधिकरण (authority) या कमिटीया उस प्राधिकरण (authority) या कमिटी का कोई सदस्य वन अधिकार क़ानून के किसी प्रावधान या क़ानून के तहत वन अधिकार को मान्यता देने के संबंध में बनाए गए किसी नियम के ख़िलाफ़ काम करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसपर एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 8 में ऐसे किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। **चार्ट IV** वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और 8 के अंतर्गत समानांतर (parallel) अपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

## चार्ट - I| जब एफ़आईआर दर्ज की गई हो

विशेष पुलिस थाना या किसी आम पुलिस थाना में दर्ज शिकायत

↓

एफ़आईआर दर्ज*

↓

एफ़आईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ़्त दी गई हो

↓

डीएसपी (Dy. S.P.) स्तर के ऑफिसर द्वारा जाँच

↓

विशेष अदालत में चार्जशीट

↓

अदालत द्वारा अपराध तय किया जाना (इसे संज्ञान (cognizance) लेना भी कहा जाता है)
(नोट: यदि मुजलिम सरकारी अधिकारी हो तो इस मौक़े पर धारा 197 के तहत अभियोजन की मंज़ूरी (sanction for prosecution) लेना ज़रूरी है)

↓

गवाहों से पूछताछ और जवाबी पूछताछ (अभियोजन और बचाव, दोनों पक्षों द्वारा)

↓

बहस
(इस मौक़े पर लिखित तर्क भी पेश किए जा सकते हैं)

↓

सज़ा/दोषमुक्ति

## चार्ट - II| जब एफ़आईआर नहीं दर्ज की गई हो

विशेष पुलिस थाना या किसी आम पुलिस थाना में शिकायत करना

↓

एफ़आईआर दर्ज करने से पुलिस का इनकार

↓

शिकायत की कॉपी एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें और हाथ से भी सौंपें

↓

सीआरपीसी की धारा 156(3)/200 के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत करें

↙ मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को एफ़आईआर दर्ज करने और जाँच शुरू करने का निर्देश देना (चार्ट I* के तहत जारी प्रक्रिया)

↘ मजिस्ट्रेट समन जारी करने के पहले (pre-summoning) साक्ष्यों की जाँच करता है और उसके बाद आरोपियों को समन (summon) जारी करता है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है।

## चार्ट - III| जमानत

एफ़आईआर दर्ज कराना

↓

जाँच अधिकारी ज़रूरी समझे तो अभियुक्त की गिरफ़्तारी

↓

गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी

↓ कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है या रिमांड पर लिया जा सकता है

↓ मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत (जेल) में भेजना

↓

विशेष अदालत के समक्ष जमानत की अर्जी (ध्यान रहे कि अग्रिम जमानत (anticipatory bail) का प्रावधान नहीं है)

↓

जमानत याचिका और मुकदमे की सुनवाई की नोटिस शिकायतकर्ता को दी जाएगी ताकि वह उसका विरोध कर सके

↓ आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया

↓ सीआरपीसी की धारा 439(2) और 482 के तहत विशेष अदालत द्वारा अभियुक्त की जमानत को ख़ारिज करने की अपील करनी चाहिए

↓ जमानत की अर्जी ख़ारिज

↓ अभियुक्त अपील कर सकता है। अपील की नोटिस शिकायतकर्ता को दी जाए ताकि वह उसका विरोध कर सके

## चार्ट - IV| वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और 8 के तहत समानांतर (parallel) अपराधिक प्रक्रिया

### पार्ट A

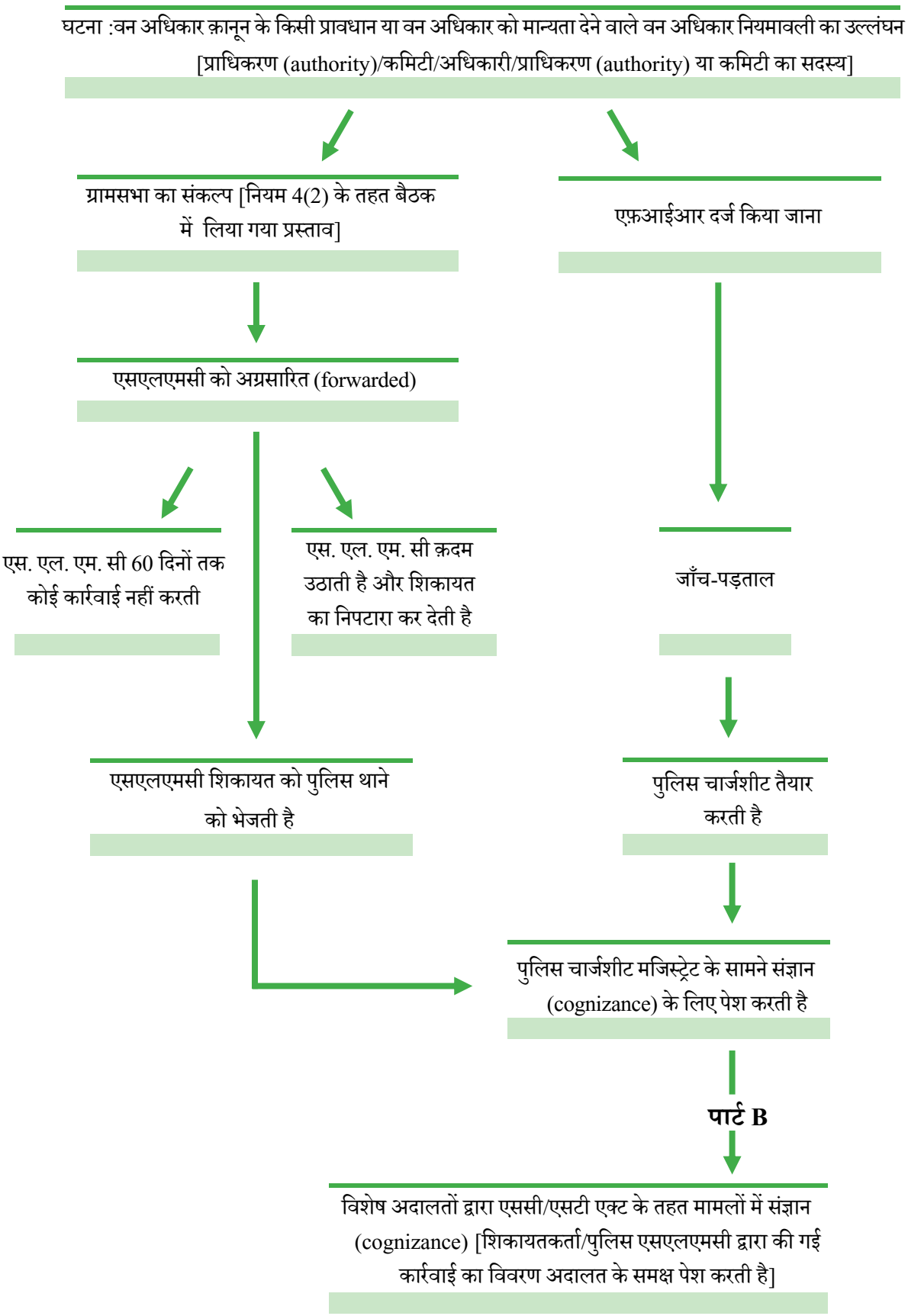

**नोट** : (1) जब एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई हो तो चार्ट II में दी गई प्रक्रिया का पालन करें

(2) प्रक्रिया का यह मानचित्र क़ानून के तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है और अभी तक तय इस क़ानूनी प्रक्रिया को अदालतों में नहीं आजमाया गया है।

# V. प्रक्रिया में कमी – आप क्या करें?

### शिकायत दर्ज नहीं होना

- सीआरपीसी की धारा 156(3) या धारा 200 के तहत संबद्ध अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराएँ

### चार्जशीट दाख़िल करने में देरी

- अत्याचार निवारण नियमावली (POA) के 7(2) और सीआरपीसी की धारा 173(1) के तहत संबद्ध मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराएँ।

### लोक अभियोजक की लापरवाही

- लोक अभियोजक (PP) की मदद करने की अनुमति के लिए सीआरपीसी की धारा 301(2) के तहत याचिका दायर करें।

### शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ झूठे/जवाबी मुकदमे दायर होना

- आईपीसी की धारा 177 और अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3(1)(त) के तहत याचिका दायर कराएँ।

### पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ़्तार नहीं करना

- अभियुक्त की गिरफ़्तारी के लिए सीआरपीसी की धारा 44 के तहत अदालत में याचिका दें कि वह अभियुक्त की गिरफ़्तारी का आदेश जारी करे।

### घटनास्थल पर अधिकारियों का समय पर नहीं जा पाना

- अत्याचार निवारण नियमावली (POA) के नियम 6 और 12 के तहत याचिका दायर कराएँ।

### अधिकारियों की लापरवाही

- आईपीसी की धारा 166 और अत्याचार निवारण क़ानूनकी धारा 4 के तहत याचिका दायर करें।

### मुकदमे के दौरान अभियोजन (prosecution) द्वारा सभी गवाहों से पूछताछ नहीं

- अगर संबद्ध जज गवाहों से पूछताछ नहीं कर रहा हो तो सीआरपीसी की धारा 202(2) के तहत याचिका दायर करें या मुकदमे को फिर से चालू (re-open) करने के लिए प्रतिरोध यचिका (protest petition) दायर करें।

# VI. ग्रामसभा क्या कर सकती है?

- ग्रामसभा संकल्प के लिए विशेष फॉर्मेट का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि वह वन अधिकार नियमावली 4(5) से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, ग्रामसभा संकल्प में अत्याचार निवारण क़ानून के संबद्ध प्रावधानों का समावेश (incorporation) सरकारी अधिकारियों के मन में उसके लिए ज़्यादा वैधता (legitimacy) प्रदान करेगा।

> *नोट :वन अधिकार क़ानून में धारा 4(5) की उपस्थिति के बावजूद कई मामलों में वन विभाग लोगों को जब उनके अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है तब भी उन्हें विस्थापित करता रहा है। इस प्रावधान के बारे में जागरूकता पैदा करना और इस तरह के उल्लंघन का अंदेशा हो (apprehended) तो अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखना ज़रूरी है।*

- ग्रामसभा को वन अधिकार क़ानून की धारा 5 में उल्लेखित अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और उड़ीसा खनन निगम बनाम भारतीय संघ व अन्य (2013) 6 एससीसी 476 **(Orissa Mining Corporation vs. Union of India and Ors. (2013) 6 SCC 476)** में निहित सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का अनुपालन करना चाहिए –

> *वन अधिकार क़ानून की धारा 5 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा करना ग्रामसभा का कर्तव्य है। यह उसका दायित्व है और वन प्रबंधन के ऊपर उसे अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "इन कर्तव्यों में उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर (cultural and natural habitat) को किसी भी तरह से क्षति पहुँचाने वाली प्रथाओं से बसाहट की सुरक्षा का कर्तव्य भी शामिल है" (पैरा 54)।*

- ग्रामसभा को उल्लंघन से संबंधित साक्ष्यों को भी एकत्र करना चाहिए, जैसे कि जाली कार्यवाही (forged proceedings), हिंसा की धमकी, आगजनी की शरारत, आदि। मिसाल के लिए, ग्रामसभा की जाली कार्यवाही/संकल्प (proceedings/resolutions) के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया और कोरम (quorum), नोटिस, उपस्थिति पुस्तिका (attendance roll) जैसे अन्य विवरणों को दर्ज किया जा सकता है। ऐसे मामलों में संबद्ध पंचायती राज क़ानूनों के साथ-साथ अत्याचार निवारण क़ानून की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराना ज़रूरी है।

- दोषी लोक सेवकों के मामले में ग्रामसभा को अत्याचार निवारण क़ानून की संबंधित धारा के तहत दोषी अधिकारी के विभाग के सचिव को प्रतिवेदन/पत्र भेजना चाहिए और संबंधित सेवा नियमों (service rules) के तहत उसके दुराचार (misconduct) के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँग करनी चाहिए।

# VII. वैकल्पिक रणनीतियाँ – अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं?

तमाम प्रयासों के बावजूद कभी-कभी यह संभव नहीं होता कि अपराधिक प्रक्रिया शुरू की जा सके और उसे अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि अत्याचार निवारण क़ानून में दिए गए महत्त्वपूर्ण अधिकारों को हासिल नहीं किया जा सकता। यह ज़रूरी है कि हम समझें कि अत्याचार निवारण क़ानून वन अधिकारों के बारे में एक ठोस बात कहता है और उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के कई और रास्ते हैं। इस खंड में उन वैकल्पिक रणनीतियों का विवरण दिया गया है, हालाँकि यह सूची पूर्ण (exhaustive) नहीं है।

- ग्रामसभा के संकल्पों में अत्याचार निवारण क़ानून के प्रावधानों का विवरण देने से वह उसे और पुष्ट (authoritative) बनाएगा और सरकारी अधिकारियों की नज़र में उस संकल्प को ज़्यादा वैध बनाएगा। इससे मदद मिलेगी कि ऐसे संकल्पों की रूपरेखा तैयार की जाए और संगठन के ज़रिए उसे बाँटा जाए।
- अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 17 के तहत उत्पीड़न संभावित क्षेत्रों (atrocity-prone area) की पहचान करें और वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक साझा नेटवर्क के ज़रिए हस्तक्षेप का साझा मंच तैयार करें।
- ज़मीनी स्तर पर परचे/पुस्तिकाएँ जारी कर वन अधिकार क़ानून और अत्याचार निवारण क़ानून के बारे में जागरूकता पैदा करें। इन दस्तावेज़ों में आम उत्पीड़नों की सूची और शिकायत निवारण उपायों की जानकारी दें।
- सही-सही और अद्यतन जानकारी हासिल करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर के क़ानूनी सेवा अधिकारियों (state and central legal services authority), ख़ासकर क़ानूनी सहायता वकीलों से क़रीबी संपर्क और रिश्ता बनाए रखें।
- सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं और वकीलों की सभा आयोजित करें और सूचनाओं और ज्ञान का साझा डाटाबेस तैयार करें। साथ ही, वैकल्पिक मीडिया और प्रेस से क़रीबी कामकाजी रिश्ता कायम करें और उसे बनाए रखें।
- सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुकदमा दायर करने के बाद जवाबी मुकदमे और अन्य कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। सलाह है कि जिला स्तर या हाई कोर्ट स्तर के वकीलों की पहचान की जाए जो ज़रूरत पड़ने पर हमारा मुकदमा लड़ने के लिए तैयार रहें।
- पीड़ित के पक्ष से अदालती कार्रवाई के समय गवाही देने वाले लोगों को तैयार करना। इसके लिए उन्हें संभावित प्रश्नों (model questions) के बारे में बताया जाए और दूसरी जानकारियाँ दी जाएँ।

# VIII. सन् 2018 में आए अहम बदलाव

*20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2018) के मुकदमे (6 एससीसी454, एआईआर 2018 एससी 1498) [Subhash Kashinath Mahajan vs. State of Maharashtra & Anr. (2018) 6 SCC 454, AIR 2018 SC 1498] में अत्याचार निवारण क़ानून के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए। दो जजों की बेंच इस बात पर विचार कर रही थी कि बाहरी (extraneous) कारणों से अत्याचार निवारण क़ानून के प्रावधानों के "दुरुपयोग" को रोकने के लिए किस तरह की प्रक्रियात्मक सुरक्षा (procedural safeguards) प्रदान की जा सकती है। बेंच ने निम्नलिखित निर्देश दिए :*

1. *उन मामलों में जहाँ प्रथमदृष्टया (prima facie) अत्याचार निवारण क़ानून के उल्लंघन का मामला न बनता हो या न्यायिक जाँच से यह पता चले कि शिकायत प्रथमदृष्टया दुर्भावना (malafide) से प्रेरित है तो ऐसे में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) की पूर्ण मनाही नहीं की जा सकती।*
2. *अत्याचार निवारण क़ानून के तहत गिरफ़्तारी के प्रावधान के दुरुपयोग के घोषित मामलों को देखते हुए किसी लोक सेवक की गिरफ़्तारी के पहले नियोजन अधिकारी (appointing authority) की अनुमति लेना और ग़ैर-लोक सेवक के मामले में एसएसपी (S.S.P.) की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसकी इजाज़त दर्ज कारणों से अगर ज़रूरी हो तो दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट इन कारणों की जाँच करने के बाद ही गिरफ़्तारी को जारी रखने की अनुमति देगा।*
3. *किसी निर्दोष को न फँसाया जाए, इसके लिए संबद्ध डीएसपी द्वारा प्रारंभिक तफ़्तीश (preliminary inquiry) की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि शिकायत के आधार पर अत्याचार निवारण क़ानून के अंतर्गत मामला बनता है या नहीं और आरोप मनगढंत या दुर्भावना (frivolous or motivated) से प्रेरित तो नहीं।*
4. *निर्देश (2) और (3) के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और साथ ही, इसे अदालत की अवमानना (contempt) माना जाएगा।*

## उसके बाद क्या हुआ?

*इस फ़ैसले के परिणामस्वरूप अत्याचार निवारण क़ानून के प्रावधानों के तहत मिली सुरक्षा में ढील दिए जाने के ख़िलाफ़ जन प्रतिरोध शुरू हो गया। सामुदायिक संगठनों ने देशव्यापी स्तर पर भारत बंद का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए और कई घायल हुए।*

*इस उभार के बाद भारतीय संघ ने 2 अप्रैल 2018 को इस फ़ैसले[1] के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका (review petition) दायर की और निर्देशों को वापस लेने की माँग की। इस मुकदमे में विभिन्न नागरिक संगठनों और पक्षकारों द्वारा दायर 13 हस्तक्षेप याचिकाएँ (intervention applications) और 10 रिट याचिकाएँ (writ petitions) भी शामिल थीं। वर्ष 2018-19 में इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सामने बहस हुई। सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की एक बेंच ने 1 अक्टूबर 2019 को मार्च 2018 के निर्देशों को ख़ारिज कर दिया और इस तरह पूरे विवाद को शांत कर दिया।*

[1] आरपी (सीआरएल) नं. 228/2018, सीआरएल. ए. नं. 416/2018, भारतीय संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

*संसद ने भी स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय का मार्च 2018 का फ़ैसला अत्याचार निवारण क़ानून के मूल उद्देश्य के ख़िलाफ़ है, जो एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों के ख़िलाफ़ अत्याचार की घटनाओं को रोकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (देखें अनुलग्नक I) को संसद ने 9 अगस्त 2018 को पारित किया ताकि क़ानून के प्रावधानों में ऐसे सुधार किए जाएँ कि क़ानून की असरकारिता (effectiveness) बनी रहे।*

**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी राय में सुधार करके उसे देश के प्रचलित क़ानून के मुताबिक बनाने के बाद अत्याचार निवारण क़ानून 1989 के मातहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसे 2018 में संशोधित किया गया,आज देश का तय क़ानून है (law of the land) और 20 मार्च 2018 को जारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अब प्रभावी नहीं हैं।**

## सन् 2018 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ अत्याचार निवारण क़ानून के तहत एफ़आईआर दर्ज करने के पहले कोई प्रारंभिक तफ़्तीश (preliminary enquiry) ज़रूरी नहीं है।
- किसी दोषी को ज़रूरत पड़ने पर गिरफ़्तार करने के पहले जाँच अधिकारी को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं; और
- क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 18A के मुताबिक कोई अग्रिम जमानत (anticipatory bail) नहीं दी जाएगी।

# IX. बार-बार पूछे जाने वाले सवाल-जवाब

**सवाल.** जब डीएलसी (DLC) कोई दावा स्वीकार नहीं करता या ख़ारिज कर देता है, तो क्या वह अत्याचार निवारण क़ानून के अंतर्गत अपराधी है? ऐसे किसी मामले में किसी ख़ास व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या डीएलसी (DLC) के रूप में ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है?

**जवाब.** सिर्फ़ किसी दावे को ख़ारिज कर देने के लिए डीएलसी (DLC) को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि अगर दावा नामंज़ूर करने या ख़ारिज करने के साथ-साथ धमकी दी जाती है (threat)/हमला होता है (assault)/हिंसा का सहारा (violence) लिया जाता है तो यह क़ानून के मुताबिक अपराध है। ऐसे मामले में उस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार निवारण क़ानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, पूरी कमिटी को इसका दोष नहीं दिया जा सकता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर "ग़लत ढंग से" ("wrongful") बेदख़ल किया गया हो, तभी यह अपराध है।

**सवाल.** क्या "ग़लतढंग" ("wrongfully") का मतलब, जो क़ानून में दिया गया है, वहीं तक सीमित है?

**जवाब.** प्रावधान "में दिए गए" ("includes") शब्द का मतलब सिर्फ़ क़ानून में व्याख्यायित "ग़लत ढंग" ("wrongfully") तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें उसी तरह के अन्य कृत्य भी शामिल हैं।

**सवाल.** क्या दस्तावेज़ों की ग़लत व्याख्या भी "ग़लत ढंग" (wrongfully) में शामिल है?

**जवाब.** नहीं, सिर्फ़ दस्तावेज़ों की ग़लत व्याख्या (misinterpretation) को ग़लत ढंग नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामले में संबद्ध अधिकारी या कमिटी के निर्णय के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है।

**सवाल.** क्या वन अधिकार क़ानून की धारा 7 और 8 के तहत ग्रामसभा का संकल्प न होने पर भी पुलिस सीधे एफ़आईआर (FIR) दर्ज कर सकती है?

**जवाब.** वन अधिकार क़ानून की धारा 7 का दायरा काफ़ी विस्तृत है, इसलिए वन अधिकार नियमावली का कोई भी उल्लंघन उसके दायरे में आ सकता है। इस धारा के तहत एफ़आईआर (FIR) दर्ज करने के लिए ग्रामसभा के संकल्प का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, चार्जशीट को संज्ञान में लिया जाए इसके लिए यह ज़रूरी है कि ग्रामसभा ने संकल्प पारित किया हो, उसपर कार्रवाई के लिए उसे एसएलएमसी (SLMC) के पास अग्रसारितकिया गया हो और एसएलएमसी (SLMC) ने साठ दिनों तक उसपर कोई कार्रवाई न की हो। इसलिए बेहतर होगा कि ग्रामसभा द्वारा संकल्प पहले ही पारित कर लिया जाए या एफ़आईआर (FIR) दर्ज होने के समय वह मौजूद हो (देखें प्रक्रिया की रूपरेखा के अध्याय में दिया गया चार्ट IV)।

इस संदर्भ में अनुसूचित जनजाति और अन्य वननिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत तय दिशानिर्देशों पर ध्यान देना ज़रूरी होगा।

"VI. जागरूकता, निगरानी और शिकायतों का निपटारा:

xxx

*घ) अगर कोई वन निवासी जनजाति या ग्रामसभा अपने संकल्प के माध्यम से ग्रामसभा के किसी संकल्प पर विवाद के संबंध में किसी उच्च अधिकारी या कमिटी या किसी अधिकारी या कमिटी या प्राधिकरण के सदस्य के ख़िलाफ़ क़ानून की धारा 8 के तहत क़ानून के किसी प्रावधान या वन अधिकारों को मान्यता देने के लिए क़ानून के तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन की राज्य स्तरीय निगरानी कमिटी के समक्ष शिकायत करते हैं तो राज्य स्तरीय निगरानी कमिटी ऐसी शिकायत के आधार पर शिकायत मिलने के साठ दिनों के भीतर जाँच करेगी और ज़रूरी कार्रवाई करेगी। शिकायतकर्ता और ग्रामसभा को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि जाँच-पड़ताल का नतीजा क्या रहा।"*

**सवाल.** क्या किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ अभियोजन की मंज़ूरी (sanction for prosecution) मिले बिना ही अपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है?

**जवाब.** एफ़आईआर (FIR) दर्ज करने,तफ़्तीश शुरू करने या किसी सरकारी अधिकारी को गिरफ़्तार करने के लिए पूर्वानुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ संज्ञान लेते समय – जब मजिस्ट्रेट आरोप निरूपित (frames) करता है – तब सीआरपीसी (CrPC) की धारा 197 के तहत [नियोजनकर्ता प्राधिकरण (appointing authority) से] मंज़ूरी लेना आवश्यक हो जाता है और वह भी सिर्फ़"आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन" से संबंधित मामलों में।

इसके अलावा, अगर किसी लोकसेवक के ऊपर अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 4 के तहत अपने कर्तव्यों में लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, तब विभागीय तफ़्तीश ज़रूरी है। क़ानून की धारा 3(1) और धारा 3(2) के तहत "अत्याचार" के ममलों में ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।

**सवाल.** क्या जब वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया चल रही हो, तब भी वन अधिकारों का छीना जाना "अत्याचार" माना जाएगा?

**जवाब.** वन अधिकार क़ानून की धारा 4(5) के मुताबिक जब वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया चल रही हो, तो ऐसे में किसी को भी उसके वन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, अत्याचार निवारण क़ानून के तहत वन अधिकार की व्याख्या वन अधिकार क़ानून की धारा 3(1) से जुड़ी है, जिसमें वन अधिकारों की सूची दी गई है। ध्यान देने की बात है कि हो सकता है कि विधायिका ने वन अधिकार क़ानून की धारा 4(1) या धारा 6 का हवाला दिया हो,जिसका यह अर्थ निकलता हो कि सिर्फ़ मान्यता प्राप्त वन अधिकारों को ही संरक्षण प्राप्त है। विधायिका ने यह रास्ता नहीं अपनाया।

इसलिए, कहा जा सकता है कि जब वन अधिकारों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही हो तब भी वन अधिकार से बेदख़ल किया जाना अत्याचार निवारण क़ानून की धारा 3 (1)(छ) के मुताबिक "अत्याचार" है।

**सवाल.** क्या एफ़आईआर (FIR) में सभी तथ्यों का उल्लेख ज़रूरी है?

**जवाब.** ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। *आशाबाई मछिंद्र अडगाले बनाम महाराष्ट्र सरकार* (एआईआर 2009 एससी 1973, (2009) 3 एससीसी 789) में कहा गया है कि एफ़आईआर कोई विश्वकोश (encyclopedia) नहीं है। इसलिए किसी एफ़आईआर (FIR) में सिर्फ़ अपराध का विवरण देना काफ़ी है।

**सवाल.** क्या गिरफ़्तारी अनिवार्य (compulsory) है?

**जवाब.** अभियुक्त की गिरफ़्तारी कतई अनिवार्य (compulsory) नहीं है। *अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार* (2014) 8 एससीसी 273, एआईआर 2014 एससी 2756 के मुकदमे में कहा गया है कि उन मुकदमों में जिनमें अपराध के लिए सात साल कैद से कम की सज़ा दी जा सकती है, उनमें गिरफ़्तारी अनिवार्य नहीं है। सीआरपीसी की धारा 41 में पुलिस द्वारा किसी अभियुक्त की गिरफ़्तारी की बात करते हुए "किया जा सकता है" (may) शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि "किया जाएगा" (shall)।

**सवाल.** क्या बिना कोई कारण बताए गिरफ़्तारी की जा सकती है?

**जवाब.** सीआरपीसी की धारा 50 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ़्तारी के पहले अभियुक्त को गिरफ़्तारी की वजह बताना ज़रूरी है।

**सवाल.** चार्जशीट की कॉपी मिलने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

**जवाब.** चार्जशीट को ध्यान से पढ़ें कि किन अभियुक्तों का नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है और सीआरपीसी की धारा 91 के तहत सारी जानकारियाँ देने के लिए कहें।

**सवाल.** अगर विशिष्ट लोक अभियोजक (SPP) मदद न करे, तो आप क्या कर सकते हैं?

**जवाब.** सीआरपीसी की धारा 24 के अनुसार मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित ख़ुद भी लोक अभियोजक की मदद कर सकता है। हालाँकि, हो सकता है कि लोक अभियोजक कई कारणों से इसके लिए राजी न हो। ऐसे में अत्याचार निवारण क़ानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पीड़ित/शिकायतकर्ता अत्याचार निवारण नियमावली के नियम 4(5) के अनुसार ट्रायल कोर्ट को इत्तिला देते हुए मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के समक्ष यह याचिका कर सकता है कि पीड़ित के पसंद के किसी वकील (जिसे कम-से-कम सात साल का अनुभव हासिल हो) को विशिष्ट लोक अभियोजक या एसपीपी (SPP) के रूप में बहाल किया जाए।

# X. अनुलग्नक

## अनुलग्नक 1

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—18 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 39] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2018/ श्रावण 26, 1940 (शक)
No. 39] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2018/SHRAVANA 26, 1940 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**
**(Legislative Department)**

*New Delhi, the* 17*th August*, 2018/*Shravana* 26, 1940 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th August, 2018, and is hereby published for general information:—

THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) AMENDMENT ACT, 2018

No. 27 OF 2018

[17*th August*, 2018.]

An Act further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

**1.** (*1*) This Act may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 1]

Insertion of new section 18A.

**2.** After section 18 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the following section shall be inserted, namely:— 33 of 1989.

No enquiry or approval required.

"18A. (*1*) For the purposes of this Act,—

(*a*) preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or

(*b*) the investigating officer shall not require approval for the arrest, if necessary, of any person,

against whom an accusation of having committed an offence under this Act has been made and no procedure other than that provided under this Act or the Code shall apply.

(*2*) The provisions of section 438 of the Code shall not apply to a case under this Act, notwithstanding any judgment or order or direction of any Court.".

---

DR. G. NARAYANA RAJU,
*Secretary to the Govt. of India.*

# अनुलग्नक 2: पुलिस को शिकायत का नमूना

**(एफ़आईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए)**

नोट: कृपया ध्यान दें यह नमूना अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है और यह कोई वैधानिक फ़ॉर्मेट (statutory format) नहीं है। आप अपनी परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार इसे संशोधित या फेर-बदल कर सकते हैं।

**प्रेषक**
शिकायतकर्ता का नाम :
अनुसूचित जनजाति :
पता :
संपर्क विवरण :
दिनांक :

**प्रति**
थाना प्रभारी
(पूरा पता)

**विषय :**

प्रिय महोदय/महोदया

हम निम्नलिखित सूचना आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं –
1. मामले का विवरण (वन अधिकार/ किसी अन्य उल्लंघन का तफ़सीली ब्योरा)
2. अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि –
[(क) ग्राम सभा की जाली कार्यवाही के मामले में उन व्यक्तियों की सूची जिनके जाली हस्ताक्षर बनाए गए हैं।
(ख) अधिकारियों को भेजे गए पत्र/ग्राम सभा के संकल्प/याचिका जिनकी कॉपी अधिकारियों को भेजी गई हैउनकेसंचरण पर नज़र रखना (trace the path of documents)। उस व्यक्ति का नाम और पदनाम दें, जिसने उस संकल्प को संबंधित अधिकारियों (concerned authority) के पास भेजा हो और यह जानकारी भी दें कि वह आदिवासी नहीं है।]

हम यह बताना चाहते हैं कि यह विभिन्न (संबंधित क़ानूनों) के प्रावधानों के उल्लंघन का गंभीर (उल्लंघन का विवरण) मामला है, इसमें उपरोक्त उल्लंघन शामिल है, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है (विभिन्न प्रावधान)। ये कृत्य एससी/एसटी अत्याचार निवारण क़ानून,1989 की धारा 3(1)(छ) और धारा 3(2)(vii) के तहत लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधिक "अत्याचार"हैं।
इसलिए हम इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कराना और पूरी तफ़्तीश कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपराधिक दंड संहिता के अनुरूप ज़रूरी कार्रवाई की जाए।
इसलिए हम चाहते हैं कि इस अपराधिक कृत्य _____ के मामले में एफ़आईआर दर्ज की जाए।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कराने में हमारी मदद करें और कृपा करके एफ़आईआर(FIR) दर्ज करें, विस्तृत तफ़्तीश करें और सीआरपीसी के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करें।

हम आपकी सुविधा के लिए इसके साथ निम्नलिखित जानकारी संलग्न कर रहे हैं –
(a) [शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता व्यक्ति के पहचानपत्र की कॉपी।]
उम्मीद करते हैं कि आप यथाशीघ्र समुचित कार्रवाई करेंगे।

सविनय आपका (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ताका हस्ताक्षर)

## अनुलग्नक 3 : वन अधिकार क़ानून की धारा 8 के अंतर्गत नोटिस

नोट : कृपया ध्यान दें कि इस फॉर्मेट को अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है, और यह कोई वैधानिक फॉर्मेट (statutory format) नहीं है। आप अपनी परिस्थिति और मुकदमे की ज़रूरत के मुताबिक इसमें सुधार और तब्दीली कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2007 की धारा 7 के तहत किए गए उल्लंघन के लिए दी गई नोटिस।

दिनांक :

सेवा में
मुख्य सचिव सह चेयरमैन
राज्य स्तरीय निगरानी कमिटी,
**[शहर, राज्य]**

**विषय**: अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 8 और संशोधित नियमावली,2012 के तहत दिए गए फ़ैसला (**DLC के फ़ैसले की तफ़सील**) को, जो वन अधिकार क़ानून, 2006 और नियमावली के विपरीत है, उसे राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी (SLMC) के समक्ष चुनौती की नोटिस।

प्रिय महोदय/महोदया,
हम अधोहस्ताक्षरी (undersigned) [.....] की ओर से ग्रामसभा द्वारा दिनांक [……] को लिए गए फ़ैसले (**नोटिस के अनुलग्नक के रूप उसकी कॉपी संलग्न करें)** के अनुरूप गंभीर चिंता और शिकायत के तौर पर आपका ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि और कार्रवाई ज़रूरी है। विवादित फ़ैसले की कॉपी अनुलग्नक [……..] के रूप में संलग्न है। **(विवादित फ़ैसले की कॉपी संलग्न करें)**

[मामले की तफ़सील दें, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ज़ोर दें]

1. प्राधिकरण (authority)/कमिटी/अधिकार/प्राधिकरण (authority) या कमिटी के सदस्य का नाम :
2. वन अधिकार क़ानून की धारा 7 के तहत किए गए अपराध का विवरण :
3. वन अधिकार क़ानून और उसकी नियमावली की विशिष्ट धाराओं के उल्लंघन की प्रकृति :
4. पीड़ितों के नाम :
5. यदि कोई गवाह हों तो उनके नाम :
6. संलग्न सबूतों की सूची : (शिकायत, जुर्माने की रसीद, अन्य कोई)

ग्राम सभा (**ग्राम सभा का नाम**) इस फ़ैसले (**विवादित फ़ैसले की तारीख**) पर निम्नलिखित आपत्ति दर्ज कराना चाहती है।

[**आपत्तियों की विस्तृत सूची, जैसे कि**]

1. निर्णय प्रक्रिया से संबंधित;
2. वन निवासी की पात्रता और परिभाषा से संबंधित;
3. सबूतों की पर्याप्तता (adequacy) से संबंधित;
4. बंदोबस्ती की प्रक्रिया (settlement process), यदि कोई हो, उससे संबंधित;
5. व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित जिनसे सामुदायिक अधिकारों का हनन होता हो;
6. कोई अन्य मुद्दा]

हम उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वन अधिकार क़ानून, 2006 की धारा 6 और संशोधित नियमावली, 2012 के तहत आपको यह नोटिस दे रहे हैं, जो राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी को जिलास्तरीय कमिटियों के फ़ैसले पर सवाल उठाने और फ़ैसले की प्रक्रिया की तफ़्तीश करने के लिए अधिकृत करती है।

हम कहना चाहते हैं कि इस मामले में किए गए फ़ैसले [**विवादित फ़ैसले की तारीख और उसका हवाला**] को निरस्त (null and void) माना जाए, क्योंकि यह उपरोक्त वन अधिकार क़ानून, 2006 और नियमावली का खुला उल्लंघन है।

**इसलिए वन अधिकार क़ानून की धारा 8 के तहत राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी (SLMC) को 60 (साठ) दिनों की नोटिस दी जा रही है कि वह उपरोक्त अधिकारी के उपरोक्त कृत्यों का संज्ञान (cognizance) ले, जो वन अधिकार क़ानून की धारा 7 के मुताबिक वन अधिकार क़ानून और नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन का अपराध है।**

वन अधिकार क़ानून, 2006 और नियमावली, 2008 (2012 में संशोधित) को जंगलों पर आश्रित समुदायों के साथ किए जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने और उनके अधिकारों को क़ानूनी मान्यता दिलाने के लिए बनाया गया है। हालाँकि, डीएलसी (DLC) के आधिकारिक सदस्यों के इस मामले में फ़ैसले ने हमें उसी अन्याय के दोराहे पर ला खड़ा किया है। हमें आपके दफ़्तर पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेंगे और क़ानून की भावना को बहाल करेंगे और लोगों के अधिकारों का हनन न हो यह सुनिश्चित करेंगे।

इसलिए, हम आपसे याचना करते हैं कि –

1. इस फ़ैसले [**विवादित फ़ैसले की तारीख और हवाला दें**] को तत्काल निरस्त (void ab intio) माना जाएगा और उसे ख़ारिज कर दिया जाएगा;
2. वन अधिकार क़ानून,2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्यस्तरीय निगरानी कमिटी/जिलास्तरीय निगरानी कमिटी (SDLC/DLC) की बैठक फिर से बुलाने का आदेश दिया जाएगा; और
3. जो उचित हो ऐसे आदेश दिए जाएँगे।

# लीगल रिसोर्स सेंटर (एलआरसी) के बारे में

एलआरसी क़ानूनी ज्ञान में बढ़ोतरी और क्षमता विकास और भारत में आदिवासियों के अधिकारों के लिए रणनीति को मज़बूती देने वाला संसाधन केंद्र है। इसके लिए वह क़ानून के प्रति बहुआयामी और बहु-अनुशासन दृष्टिकोण अपनाता है। उसके काम में अकादमिक और कार्यवाही-उन्मुखी शोध, मुकदमे में सहायता, क्षमता विकास, ज्ञान सृजन और क़ानून विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों का विकास शामिल है। एलआरसी मज़बूती से क़ानूनी पेशा और सामाजिक आंदोलनों के मेल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। एलआरसी के क्रियाकलाप और हस्तक्षेप संवैधानिक विधि, जंगल और ज़मीन से संबंधित क़ानून, पर्यावरण संबंधी क़ानून, अपराधिक क़ानून, मानवाधिकार आदि पर केंद्रित हैं।

शिक्षाशास्त्री वकीलों और कार्यकर्ताओं को सैद्धांतिक कल्पनाशीलता से लैस कर सकते हैं, पर उन्हें उन सिद्धांतों को राजनीतिक और व्यावहारिक स्तर अमल में लाना होता है। आलोचनात्मक वकालत और ऐसी वकालत (जो ख़ास तौर पर परंपरा के दायरे में बँधी हो) सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय कार्यकर्ताओं की मददगार होती है, जिससे क़ानून व्यवस्था हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षित दायरा बन जाता है। एलआरसी में सामाजिक-क़ानूनी समुदायों के इन तीनों पक्षों में मेल कायम करने को किसी सर्वांगीण राजनीतिक सुधार के लिए ज़रूरी माना जाता है और इसे हरेक प्रोजेक्ट में अमल में लाया जाता है। एलआरसी ने औपचारिक रूप से जब जुलाई 2017 में काम शुरू किया, उसने एक ऐसी ही जगह बनाने की कोशिश की है और वकीलों, अकादमिकों और कार्यकर्ताओं को एकसाथ लाया है। वे सभी सामान्यतया हाशिए पर बसे समुदायों, और ख़ासकर आदिवासियों और वन निवासियों को सामाजिक न्याय दिलाने के प्रति समर्पित हैं।

व्यावहारिक रूप से हम नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत का पेशा करनेवाले एक वकील के दफ़्तर में अवस्थित हैं। हालाँकि एलआरसी उन लोगों के मन में भी अवस्थित है, जो उसमें काम करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उसकी पहुँच ओडिशा में भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश में जबलपुर-जैसे विभिन्न राज्यों तक फैली है। उसके संपर्क बंगलुरु और पटना में भी हैं। अगले कुछ महीनों में उसका विस्तार और संपर्क और मज़बूत हो जाएगा और वह नए इलाक़ों तक अपनी पहुँच बना लेगा।

## एलआरसी क्या करता है?

### क) विकसित होते क़ानूनों और परिपाटियों की निगरानी

एलआरसी विभिन्न संवैधानिक अदालतों और न्यायाधिकरणों की निगरानी करता है, जहाँ आदिवासियों के अधिकारों और वन अधिकारों के मामले सुने जाते हैं। इस प्रकार, वह ऐसी जानकारियाँ जमा करता है, जिनका जब ज़रूरत पड़े उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है। वन अधिकार क़ानून को लेकर एक नया न्यायशास्त्र विकसित हो रहा है। उसपर ख़ास तौर पर क़रीबी नज़र रखी जा रही है। जहाँ अहम विकास हो रहे हैं/ अपेक्षित हैं, वहाँ उन मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक आंदोलनों को समय पर आगाह करने की कोशिश की जाती है।

एलआरसी न्याय प्रणाली पर अंदर से नज़र रखने के साथ-साथ उसके नैसर्गिक सहायक के तौर पर गाइडलाइनों और कार्यकारी निर्देशों के रूप में क़ानूनों में विधायिका के स्तर पर हो रहे बदलावों या प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की भी निगरानी करता है।

### ख) जिला और उच्च न्यायालयों के वकीलों का क्षमता विकास

एलआरसी क्षमता का विकास करके और वकीलों और क़ानूनी रूप से दक्ष कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करके वन अधिकार के तहत लोगों की न्याय तक पहुँच को प्रोत्साहित करता है। इस नेटवर्क से जुड़े वकील और कार्यकर्ता क़ानून के तहत तय अधिकारों के हनन के मामलों में लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सन् 2006 से लेकर अब तक वन अधिकार क़ानून के तहत मुकदमों की सुनवाई और फ़ैसलों का समृद्ध भंडार दिखलाता है कि क़ानून में तय अधिकारों का लोग लगातार दावा करते हैं और रचनात्मक रूप से अधिकारों की व्याख्या करते हैं। प्रशासन के साथ-साथ अर्ध-स्वायत्त निकायों के भीतर रणनीतिक हस्तक्षेपों के नए दायरों का मतलब यह है कि जिला केंद्रों में वकीलों को और बड़ी भूमिका अदा करनी होगी, जहाँ इनमें से कई आधिकारिक निकाय स्थित हैं। इसके साथ ही, यह देखते हुए कि हाशिए के समुदायों के अधिकारों को हासिल करने में बहुत सारे संरचनात्मक व्यवधान हैं, यह ज़रूरी है कि अपील अदालतों/ प्राधिकरणों के समक्ष भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहा जाए। इसलिए जिला स्तर पर वकीलों और क़ानूनी रूप से दक्ष कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एलआरसी का एक प्रमुख काम बन जाता है।

- प्रशिक्षण संसाधन : एलआरसी के वकील और शोधकर्ता समय-समय पर अन्य संस्थानों और संगठनों (ज़मीनी संगठनों,क़ानून विश्वविद्यालयों, आदिवासी शोध संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों और अन्य संस्थानों) के लिए विशिष्ट मुद्दों पर रिसोर्स व्यक्तियों/ प्रशिक्षकों की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार रहते हैं।
- पाठ्यक्रम का विकास : एलआरसी का एक अहम दीर्घकालीन लक्ष्य है विश्वविद्यालयों,क़ानून विद्यालयों और क़ानून प्रशिक्षण संस्थानों को क़ानून और आदिवासियों और जंगल निवासियों के अधिकारों की सुनवाई से संबंधित पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराना। इस उद्देश्य से एलआरसी प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर स्नातक स्तर पर संवैधानिक विधि, संपत्ति क़ानून, दीवानी क़ानून, अपराधिक क़ानून, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और अपकृत्य संबंधी क़ानून-जैसे कई विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने की कोशिश की है। इन पाठ्यक्रमों ने काफ़ी उत्साह और रुचि पैदा की है।

### ग) शोध, डॉक्यूमेंटेशन और विश्लेषण विकास

एलआरसी क़ानूनी शोध, विश्लेषण और अकादमिक और सैद्धांतिक प्रयासों में मदद का काम करता रहा है। ऐसा आलेखों, किताबों, अध्यायों, क़ानूनी याचिकाओं और आईईसी प्रकाशनों के ज़रिए किया जाता है। विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री तैयार करना एलआरसी का काम है और उसे अलग-अलग लक्षित समूहों के लिए तैयार किया जाता है।

### घ) एडवोकेसी, क़ानूनी सुधार, मुकदमे लड़ना और क़ानूनी हस्तक्षेप

एलआरसी तरह-तरह के ज़मीनी संगठनों को, जिला स्तर के वकीलों को, कार्यकर्ताओं को और अन्य संबंधित व्यक्तियों को क़ानूनी सलाह देता है, रणनीति तैयार करने मदद करता है और शोध में सहायता करता है। एलआरसी याचिकाएँ तैयार करने में भी मदद करता है ताकि अदालती रिकॉर्ड तैयार हो सकें, जो वक़्ती के साथ-साथ दीर्घकालीन स्तर पर लाभदायक हों।

चूँकि एलआरसी के साथ वकील और ग़ैर-वकील दोनों तरह के लोग जुड़े हैं, इसलिए दी जानेवाली सलाह ठोस क़ानूनी सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी होती हैं और उनमें तफ़सील का ख़ास ख़याल रखा जाता है। प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम और उसके तहत नियमावली बनाने का मसला हो, प्रस्तावित वन नीति, 2018 का मसला हो, भूमि बैंक बनाने का मसला हो या 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन का मसला हो, एलआरसी सतत एडवोकेशी के मार्फ़त हमेशा सक्रिय रहा है और इस मुद्दे पर एडवोकेशी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को व्यापक जानकारियाँ,दस्तावेज़ और विश्लेषण उपलब्ध कराता रहा है।

## एलआरसी की दिशा क्या है?

आगामी महीनों में एलआरसी एक परामर्शदात्री निकाय के गठन की दिशा में पहला क़दम उठाने वाला है, जो मार्गदर्शन करेगा और दिशा को दुरुस्त करेगा और सबसे ऊपर क़ानून और प्रक्रिया में होने वाले बदलावों पर शीघ्र प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेगा। ऐसा सुदृढ़ीकरण ज्वार-भाटे के समय एलआरसी में भटकाव को रोकेगा, जो क़ानूनी हस्तक्षेपों के दौरान अक्सर होता है। वह एक तरफ़, उसकी उपलब्धियों को जाया नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ़, लाजिम असफलताओं से हताश नहीं होने देगा।

## हमारा संपर्क


दिल्ली

**शोमोना खन्ना** (+91-11-40527175; +91-9873665288)
lrc.alterlaw@gmail.com | legalresourcecentre@protonmail.com
**राधिका चितकारा**(+91-9873310630)
rchitkara@llm17.law.harvard.edu
**पूजा**(+91-6202157299)
pjpj2606@gmail.com
**खुशबू पारिक**(+91-7976848019)
khushbooprk@gmail.com

भुवनेश्वर

**तुषार दाश** (+91-7008507779)
tushardash01@gmail.com
**संघमित्रा दुबे**(+91-8763382452)
sanghamitradubeyikk@gmail.com

जबलपुर

**राहुल श्रीवास्तव**(+91-8435452768) | rahul.samvad26@gmail.com
**राघवेंद्र कुमार** (+91-9425301744) | advocateraghvendra@yahoo.com

बंगलुरु

**आस्था सक्सेना** (+91-9502321258) | saxenastha@gmail.com

# वसुंधरा के बारे में

वसुंधरा, ओडिशा एक क्रियात्मक शोध और नीति एडवोकेशी संगठन है, जो प्राकृति कसंसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और टिकाऊ आजीविका के मुद्दों पर काम करता है। सन् 1991 में गठित वसुंधरा को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 1992 में पंजीकृत किया गया। हमने ओडिशा राज्य में सामुदायिक जंगलों के संरक्षण और प्रबंध का काम करनेवाले स्वनिर्मित सामुदायिक वनीकरण समूहों को सहयोग देने और मज़बूत बनाने के काम से शुरुआत की। हम लगातार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि ग्रामीण आजीविका को टिकाऊ बनाने में जंगल निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। हमारा ज़ोर इस बात पर रहा है कि जंगलों पर आश्रित समुदायों, ख़ासकर औरतों की आजीविका में जंगल जिस तरह की भूमिका निभाते हैं, वह सरकारी नीतियों में परिलक्षित हो और ऐसा माहौल बने, जिसमें जंगलों के प्राथमिक स्वामी और उपयोगकर्ता अपनी ज़िंदगी और आजीविका के ऊपर अपने विशिष्ट नियंत्रण में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनें।

पिछले सालों में समुदायों के बीच हमारा काम फैला है और आदिवासियों और जंगल पर आश्रित समुदायों के सामुदायिक वन अधिकारों पर ज़्यादाज़ोर दिया गया है, जैसा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार क़ानून में प्रावधान किया गया है। हमने सामुदायिक प्रयासों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने और उनसे तालमेल बिठाने पर ज़ोर दिया है।

## वसुंधरा क्या करता है?

### मिशन

ग्रामीण लोगों के सक्षमीकरण पर ज़ोर के मार्फ़त टिकाऊ विकास, सामाजिक न्याय और समता को बढ़ावा देना।

### मूल मूल्य

- संरक्षण
- टिकाऊपन
- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का जनतंत्रीकरण
- सामाजिक न्याय और समता
- गरीबों की आवाजों का समावेश
- हाशिए पर धकेल दिए गए तबकों का राजनीतिक आंदोलन
- महिलाओं के अधिकार हमारे काम के केंद्रीय बिंदु हैं।

### भूमिका

हम अपने आपको प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन में सहयोग करनेवाला और उसके लिए समुचित माहौल का सृजन करनेवाला, प्रक्रिया सुविधा प्रदायक और उत्प्रेरक समझते हैं। स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के विकास में हमारी भूमिका उतनी ही महत्त्वपूर्ण है ताकि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का जनतंत्रीकरण किया जा सके और उसे टिकाऊ बनाया जा सके और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

## वसुंधरा की दिशा क्या है?

नेटवर्किंग, एक-दूसरे से सीखना और फ़ीडबैक का सुदृढ़ ढाँचा खड़ा करना एक न्यायपूर्ण और जनतांत्रिक समाज के निर्माण के काम में लगे लोगों की क्षमता के विकास के लिए निहायत ही ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा अलग-अलग क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों और हस्तक्षेप को सुदृढ़ करता जा रहा है। इनमें वह तरह-तरह के सक्रिय लोगों के बीच विभिन्न स्तर पर सहकारी रूप से सीखने पर ज़ोर देता है। एक सचेत पेशेवर के रूप में हम सीखना पसंद करते हैं ताकि अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में ज़्यादा सीधी मदद कर सकें। हम सीखने, सोचने और अन्य सिविल सोसायटी सक्रिय समूहों के बीच आलोचना-प्रत्यालोचना में बड़ी भूमिका निभाने की भी चेष्टा करते हैं।

## हमारा संपर्क

**वसुंधरा**
प्लॉट नं. 1731/सी, दास महापात्र कंप्लेक्स, पोस्ट – केआईआईटी कैंपस
भुवनेश्वर –751024
ओडिशा
**ईमेल:** vasundharanr@vasundharaorissa.org
**वेबसाइट:** www.vasundharorissa.org | www.fra.org.in

## इस निर्देशिका के बारे में

इस निर्देशिका का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को अधिकार दिलाने में लगे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों की और बड़ी भूमिका के लिए काम करना है। यह एक सरलीकृत संदर्भ पुस्तिका है, जो अपराधिक न्याय प्रणाली से कैसे निपटें इसका रास्ता बताती है और मान्यताप्राप्त अधिकारों के हनन को रोकने में सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश करती है।

**लीगल रिसोर्स सेंटर**
दिल्ली

**वसुंधरा**
ओडिशा